उत्तराखण्ड शासन
राजस्व अनुभाग–3
संख्याः /XVIII(3)/2016–20(01)/2014
देहरादून : दिनांक फरवरी, 2016

अधिसूचना

राज्यपाल, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013(केन्द्रीय अधिनियम संख्या 30 वर्ष 2013) की धारा 3 के खण्ड (ड.) V के परन्तुक के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके किसी लोक प्रयोजन के संबंध में एतद्द्वारा अधिसूचित करते है कि राज्य के किसी जिले के भीतर अवस्थित एक हजार एकड़ तक के क्षेत्र के लिए भूमि के अधिग्रहण हेतु ऐसे जिले का कलक्टर समुचित सरकार समझा जायेगा।

(**डी0एस0 गर्ब्याल**)
सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
राजस्व अनुभाग–3
संख्याः /XVIII(3)/2016–20(01)/2014
देहरादून : दिनांक फरवरी, 2016

अधिसूचना

राज्यपाल, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013(केन्द्रीय अधिनियम संख्या 30 वर्ष 2013) की धारा 4, धारा 5 एवं धारा 6 में क्रमशः सामाजिक सामाघात निर्धारण अध्ययन का तैयार किये जाने, सामाजिक समाघात निर्धारण के लिए लोक सुनवाई करने तथा सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन का प्रकाशन करने की व्यवस्था उपबंधित है, द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके जिले में संबंधित अर्जन निकाय से भूमि अधिग्रहण का आशय पत्र प्राप्त होने पर सामाजिक समाघात और लोक प्रयोजन के अवधारण के लिए निम्नलिखित समिति का गठन किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है, अर्थात–

1. सम्बंधित उप जिलाधिकारी– अध्यक्ष;
2. संबंधित खण्ड विकास अधिकारी – सदस्य;
3. तहसीलदार– सदस्य;
4. संबंधित जिलाधिकारी द्वारा नामित संबंधित क्षेत्र से एक विषय विशेषज्ञ/इस अध्ययन हेतु नामित गैर सरकारी विशेषज्ञ ऐंजेन्सी– सदस्य;
5. सबंधित ग्राम के प्रधान एवं क्षेत्र पंचायत सदस्य– सदस्य;
6. संबंधित राजस्व उप निरीक्षक/लेखपाल– सदस्य–सचिव;

2– राज्यपाल यह भी निर्देश देते है कि उपरोक्त समिति द्वारा सामाजिक समाघात आंकलन लोक प्रयोजन का अवधारण रिपोर्ट सम्यक प्रकाशन हेतु संबंधित जिलाधिकारी को उपलब्ध करायी जायेगी।

(डी.एस.गर्ब्याल)
सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
राजस्व अनुभाग–3
संख्याः /XVIII(3)/2016–20(01)/2014
देहरादून : दिनांक फरवरी, 2016

अधिसूचना

राज्यपाल, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013(केन्द्रीय अधिनियम संख्या 30 वर्ष 2013) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का मूल्यांकन किये जाने हेतु निम्नवत् एक स्वतंत्र बहु–शाखीय विशेषज्ञ समूह गठित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है, अर्थात–

1. सम्बंधित मुख्य विकास अधिकारी– अध्यक्ष;
2. संबंधित क्षेत्र पंचायत प्रमुख – सदस्य;
3. संबंधित जिलाधिकारी द्वारा नामित दो समाजिक विज्ञानी– सदस्य;
4. सबंधित जिला पंचायत सदस्य– सदस्य;
5. संबंधित मुख्य नगर अधिकारी या कार्यकारी अधिकारी नगरपंचायत/नगरपालिका/नगरनिगम– सदस्य;
6. परियोजना से संबंधित प्रशासकीय विभाग के केन्द्र तथा राज्य सरकार के जिला स्तर का अधिकारी– सदस्य–सचिव;
7. संबंधित जिले के किसी महाविद्यालय या तकनीकी शिक्षण संस्थान आदि से जिलाधिकारी द्वारा नामित पुर्नविस्थापन सम्बंधी दो विशेषज्ञ – सदस्य

2– राज्यपाल यह भी निर्देश देते हैं कि उपरोक्त विशेषज्ञ समूह अपनी संस्तुतियां प्रकाशन एवं अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु संबंधित जिलाधिकारी को प्रस्तुत करेगी।

(डी.एस.गर्ब्याल)
सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
राजस्व अनुभाग–3
संख्याः /XVIII(3)/2016–20(01)/2014
देहरादून : दिनांक फरवरी, 2016

अधिसूचना

राज्यपाल, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013(केन्द्रीय अधिनियम संख्या 30 वर्ष 2013) की धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके अर्जित की जाने वाली भूमि की सीमा अवधारण करने में समर्थ बनाने के प्रयोजनों के लिए प्रारम्भिक सर्वेक्षण व सर्वेक्षण हेतु निम्नवत् सर्वेक्षण दल गठित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है, अर्थात–

1. सम्बंधित नायब तहसीलदार।
2. अर्जन/अपेक्षक निकाय के तहसील स्तर के अधिकारी (अनुपलब्धता की दशा में जिला या राज्य स्तर के अधिकारी)
3. सम्बंधित राजस्व निरीक्षक/लेखपाल।

(डी.एस.गर्ब्याल)
सचिव।

उत्तराखण्ड शासन

राजस्व अनुभाग–3

संख्याः @XVIII(3)@2016–20(01)/2014

देहरादून : दिनांक फरवरी, 2016

अधिसूचना

चूकिं समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि ..... भूमि के अर्जन के कारण व्यक्तियों को गैर–स्वैच्छिक विस्थापन होने की सम्भावना है, ऐसी स्थिति में पुनर्वासन अथवा पुनर्व्यवस्थापन के लिए (जो भी स्थिति हो अथवा दोनों के लिए)

राज्यपाल, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013(केन्द्रीय अधिनियम संख्या 30 वर्ष 2013) की धारा 43(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके संबंधित जिले के अपर जिलाधिकारी(जनपद में अपर जिलाधिकारी का पद उपलब्ध न होने पर सम्बन्धित उप जिलाधिकारी) को उनके पद के अतिरिक्त पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त करने तथा उक्त धारा की उप धारा (2) में अवसंरचना आदि उपलब्ध कराये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2– राज्यपाल उपधारा (3) के अधीन यह भी निर्देश देते हैं कि एतद्द्वारा नियुक्त पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक समुचित सरकार और पुनवार्सन और पुनर्व्यवस्थापन आयुक्त के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण के अधीन रहते हुए, पुनवार्सन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम की विरचना, निष्पादन और अनुश्रवण प्रशासक में निहित होगी।

(डी.एस.गर्ब्याल)
सचिव।

उत्तराखण्ड शासन

राजस्व अनुभाग–3

संख्याः / XVIII(3)2016–20(01)/2014

देहरादून : दिनांक फरवरी, 2016

अधिसूचना

राज्यपाल, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013(केन्द्रीय अधिनियम संख्या 30 वर्ष 2013) की धारा 44 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके प्रभावित कुटम्बों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए संबंधित मण्डल के आयुक्त को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन आयुक्त के रूप में नियुक्त किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2– एतद्द्वारा नियुक्त पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन आयुक्त पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीमों या योजनाओं की विरचना का अधीक्षण करने और ऐसी स्कीमों और योजनाओं के उचित कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी होने तथा ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम सभा और शहरी क्षेत्रों में नगरपालिका के परामर्श से कार्यान्वयन के पश्चात् सामाजिक सम्परीक्षा के लिये उत्तरदायी होगा।

(डी.एस.गर्ब्याल)

सचिव।

उत्तराखण्ड शासन

राजस्व अनुभाग–3

संख्याः /XVIII(3)/**2016–20(01)/2014**

देहरादून : दिनांक फरवरी, 2016

अधिसूचना

चूंकि समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि अर्जन किये जाने के लिए प्रस्तावित भूमि एक सौ एकड़ के बराबर या उससे अधिक है;

अतः अब राज्यपाल, समुचित सरकार, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013(केन्द्रीय अधिनियम संख्या 30 वर्ष 2013) की धारा 45(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके समुचित सरकार, पुनर्वासन और पुनर्व्यावस्थापन स्कीम के कार्यान्वयन की प्रगति का अनुश्रवण करने और उसका पुनर्विलोकन करने तथा ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम सभा और शहरी क्षेत्रों में नगरपालिका के परामर्श से कार्यान्वयन के पश्चात सामाजिक सम्परीक्षा करने के लिए पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन समिति का निम्न प्रकार गठन करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

1– जिलाधिकारी– अध्यक्ष।
2– मुख्य विकास अधिकारी– सदस्य।
3– सम्बन्धित उप जिलाधिकारी– सदस्य।
4– सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी– सदस्य।
5– सम्बन्धित नायब तहसीलदार– सदस्य।

(डी.एस.गर्ब्याल)
सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
राजस्व अनुभाग–3
संख्याः /XVIII(3)/2016–20(01)/2014
देहरादून : दिनांक फरवरी, 2016

अधिसूचना

चूंकि समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि अर्जन किये जाने के लिए प्रस्तावित भूमि एक सौ एकड़ के बराबर या उससे अधिक है;

अतः अब राज्यपाल, समुचित सरकार, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013(केन्द्रीय अधिनियम संख्या 30 वर्ष 2013) की धारा 45(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके समुचित सरकार, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम के कार्यान्वयन की प्रगति का अनुश्रवण करने और उसका पुनर्विलोकन करने तथा ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम सभा और शहरी क्षेत्रों में नगरपालिका के परामर्श से कार्यान्वयन के पश्चात सामाजिक सम्परीक्षा करने के लिए सम्बन्धित कलेक्टर की अध्यक्षता में पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन समिति का गठन करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2– राज्यपाल उप धारा (2) के अधीन यह भी निर्देश देते है कि पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन समिति में समुचित सरकार के अधिकारियों के अतिरिक्त निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात–

(क) प्रभावित क्षेत्र में निवास करने वाली स्त्रियों की एक प्रतिनिधि;

(ख) प्रभावित क्षेत्र में निवास करने वाले अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों में से प्रत्येक का एक प्रतिनिधि;

(ग) क्षेत्र में कार्य कर रहे किसी स्वैच्छिक संगठन का एक प्रतिनिधि;

(घ) किसी राष्ट्रीयकृत बैंक का एक प्रतिनिधि;

(ड.) परियोजना का भूमि अर्जन अधिकारी;

(च) प्रभावित क्षेत्र में अवस्थित पंचायतों या नगरपालिकाओं के अध्यक्ष या उनके नामिनिर्देशिती;

(छ) जिला योजना समिति का अध्यक्ष या उसका नामनिर्देशिती;

(ज) सम्बंधित क्षेत्र का संसद सदस्य और विधानसभा का सदस्य या उनके नामिनिर्देशित;

(झ) अपेक्षक निकाय का एक प्रतिनिधि; और

(ञ) सदस्य–संयोजक के रूप में पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक।

(डी.एस.गर्ब्याल)
सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
राजस्व अनुभाग–3
संख्याः /XVIII(3)/2016–20(01)/2014
देहरादून : दिनांक फरवरी, 2016

अधिसूचना

राज्यपाल, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013(केन्द्रीय अधिनियम संख्या 30 वर्ष 2013) की धारा 50 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके उक्त अधिनियम के अधीन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीमों या योजनाओं के कार्यान्वयन का पुनर्विलोकन करने या उनको अनुश्रवण करने के लिये निम्नवत् राज्य अनुश्रवण समिति का गठन करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है, अर्थात–

(क) मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन– अध्यक्ष;
(ख) अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/सचिव, एफ0आर0डी0सी0उत्तराखण्ड शासन– सदस्य
(ग) प्रमुख सचिव/सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन– सदस्य;
(घ) प्रमुख सचिव/सचिव, राजस्व विभाग, उत्तराखण्ड शासन– सदस्य–सचिव ;
(ड.) प्रमुख सचिव/सचिव, शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन– सदस्य;
(च) प्रमुख सचिव/सचिव, ऊर्जा विभाग, उत्तराखण्ड शासन– सदस्य;
(छ) प्रमुख सचिव/सचिव, परिवहन विभाग, उत्तराखण्ड शासन– सदस्य;

(डी.एस.गर्ब्याल)
सचिव।

उत्तराखण्ड शासन

राजस्व अनुभाग–3

संख्याः /XVIII(3)/2016–20(01)/2014

देहरादून : दिनांक फरवरी, 2016

अधिसूचना

राज्यपाल, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013(केन्द्रीय अधिनियम संख्या 30 वर्ष 2013) की धारा 51(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके उक्त अधिनियम के अधीन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीमों या योजनाओं के कार्यान्वयन का पुनर्विलोकन करने के लिए ''भूमि अर्जन पुनर्व्यवस्थापन प्राधिकरण'' का गठन करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

(डी.एस.गर्ब्याल)

सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
राजस्व अनुभाग–3
संख्याः /XVIII(3)/2016–20(01)/2014
देहरादून : दिनांक फरवरी, 2016

अधिसूचना

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 46 की उपधारा–(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार एतत्द्वारा अधिसूचित करती है कि उक्त अधिनियम की धारा 46 की उपधारा–(1) में संदर्भित भूमि के क्षेत्र की सीमा शहरी क्षेत्रों में 20(बीस) हेक्टेयर और ग्रामीण क्षेत्रों में 40(चालीस) हेक्टेयर होगी।

(डी0एस0 गर्ब्याल)
सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
राजस्व अनुभाग–3
संख्याः /XVIII(3)/2016–20(01)/2014
देहरादून : दिनांक फरवरी, 2016

अधिसूचना

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 30 की उपधारा (2) के साथ पठित प्रथम अनुसूची की क्रम संख्या 2 के कॉलम सं0 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतत्द्वारा अधिसूचित करती है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जिस गुणक द्वारा बाजार मूल्य को गुणा किया जाना है, वह गुणक **2.00 (दो)** होगा।

(**डी0एस0 गर्ब्याल**)
सचिव।